Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(1)

(Decree in Civil appeal No.9 of 195[illegible])

In the Court of the Additional District Judge, Ajmer-Merwara, Ajmer.

Civil Suit No.9 of 1939

Dewan Syed Aley Rasul Ali Khan Sajjada Nashin Khwaja Moinuddin Chishti Sahib Ajmer,. . . Plaintiff, APPELLANT.

Versus

Altaf Husain son of Fida Husain.2. Mohammed Hanif son of Qutub Ali. 3. Zahurul Hasan son of Nazar Mohammed. 4, Mohammed Husain son of Hafiz Mardan Ali. 5. Haji Wazir Ali son of Fateh Mohammed. 6. Abdul Latif son of Hayatullah 7. Hashmatullah son of Qudratullah. 8. Munnawwar Ali son of Khuda Bux on behalf of themselves and all other persons.9. M. Nisar Ahmad son of Hafiz Ali Manager Dargah Khwaja Sahib of Ajmer. 10. Syed Amir Husain. 11. Syed Fazal Husain. 12. Syed Ghulam Mohammed Nabi. 13. Syed Manzoor Ahmad. 14. Sayed Mohammed Hanif 15. Sayed Mohammed Shafi. 16. Sayed Abdul Aziz. 17. S. Mohammed Ali. 18. S. Mohammed Jan. 19. S. Zahoor Ahmad. 20. Sayed Mohammed Husain . 21. Committee Durgah Khwaja Sahib Ajmer through.

1. K.S. Molvi Abdul Wahid Khan President.
2. M. Zulfiqar Ali son of Nurul Hasan.
3. M. Abdul Latif son of Hayatullah.
4. M. Tasadduq Husain son of Ahmad Husain.
5. M. Mohammed Husain son of H. Mardan Ali.

Defendants - Respondents. .

AMENDED F-I-N-A-L D-E-C-R-E-E.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

 108

Upon reading the preliminary decree in Civil suit No.9 of 1929 of the court of the Additional Distt: Judge as modified by the decrees No.9,16,and 17 dated 4th January 1932 of the Court of the Judicial Commissioner, Ajmer-Merwara and the application of the plaintiff dated 18th May 1932 and after hearing Rai Bahadur Pandit Mithan Lal Bhargava B. A. LL. B. Advocate counsel for the plaintiff, Mr. Ghisu Lal M.A.LL.B. Advocate counsel for defendants No. 1 to 20 Mr. Daya Shankar Bhargava B. A. LL. B. Advocate counsel for the defendants No.21 and in the absence of Mir Zulfiqar Ali against whom proceedings were experte and perusal of the report of the receiveralong with the accounts submitted by the Receiver the court passes a final decree as noted below.

A. The rights of the Dewan in respect of offerings made at the Dargah are hereby declared to be as follows:-

(i) All offerings or presents made to the XX Dewan at the Dewan's Khankah or sitting place within the precincts of the Dargah are the exclusive property of the Dewan.

(ii) Offerings or presents of gold or silver vessels or implements or Kabarposhes for the use of the Dargah are the property of the Dargah committee as trustees for the Dargahirrespective of the payment of tax into the Khadims and irrespective of the spot at which they are presented.

(iii) Other offerings if made outside the dome of the shrine are the perquisites of the khadims with the exception that offerings of animals or such bulkyarticles as cannot conveniently be brought within thedome shall if made at the steps of the shrine be divided between the Dewan and the Khadims respectively in equal shares.

(iv) Other offerings if made within the dome of the shrine shall be divisible between the Dewan and

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

107

Dewan and Khadims respectively in equal shares irrespective of the spot at which they are deposited within the dome provided that the following class of offerings shall be the perquisites of the Khadims exclusively:-

(a) "All coins not exceeding two annas in value irrespective of whether they are made of copper or any other metal, and cowries and gold or silver articles (other than coins) of a value less than 8 annas and cotton cloth inferior quality.

Copper coins and cowries and gold and silver articles (other than coins) of a value less than 8 annas, and cotton cloth of inferior quality;

(b) All offerings made between the hours of 4 A.M. and 4 P.M. on Qul day i.e. the last day of the Urs.

(v) Cash or other offerings sent by post be deemed to be offerings made at the shrine i.e. within the dome unless addressed specially to the Dargah committee the Dewan or the Khadims for their exclusive use.

(vi) In the case of the articles falling within the scope of clause (ii) the payment of tawan shall be deemed conclusive proof that an article is presented for the use of the Dargah and in cases in which no tawan is paid in respect of an article falling within the scope of clause (ii) the Dargah Committee shall be the authority to decide whether such articles is required or should be retained for the use of the Dargah.

B. All the members of the Khadims communities Sayedzadas and Sheikhzadas who as per order under Order 1 rule 8 Civil Procedure Code are represented by defdts: No.1 to 20 by means of perpetual and permanent injunction are enjoined to refrain, restrain and prohibited from any interference with and obstruction to the enjoyment of plaintiffs rights as above declared.

Upon taking accounts of the offerings received from the 15th April 1926 (which includes the offerings [illegible] inside the Durgah including the dome from 14/12/1925 to 22/12/1925 and those made inside the dome from 23/12/25 to 14/4/1926) to 28th February 1933 it is ascertained that the income from cash and ornaments

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

110

ornaments amounts to Rs.33025/12/9¼ and that if on account of the value of the Ghilafs, Chadars and Nimas, amounts to Rs. 23274/13/6 totalling to Rs.56300/10/3¼ on perusal of the details of the recoveries of cash it is found that the amount of copper coins is Rs.3421/4/1 and the offerings outside the dome of the shrine from 14th December 1925 to 22nd December 1925 is Rs.30/2/0 and that the amount of cash offerings receivedon Qul days as detailed in section B above amounts to Rs.312/12/9 and t the value of the ornaments of the value of less than annas 8 comes to Rs. 7/13/- total of the last four items comes to Rs. 3780/0/6 which the defendants khadims are entitled to receive exclusively and thus the amount available for division in equal shares between the Dewan and the Khadims remainedRs. 29245/12/3¼ and thus the plaintiff Dewan is entitled to half of the above said amount viz. Rs. 14622/14/1¾ and the Khadims are entitled to the same amount Rs. 14622/14/1¾ to which may be added Rs. 3780/0/6 out of the cash the khadims are entitled to receiveRs. 18402/14/7¾.

The Ghilafs and Chadars in possession of the Receiver are to be dealt with in accordance with the direction in para 2 and 6 of clause (a) above.

D. Cost. The most important itemis that of Receiver's remuneration and other costs incurred in realizing cash, ornaments and Ghilafs from the 14th December 1925 to 28th February 1933. The account submitt -ed by the Receiver shows that it is Rs. 14555/7/7. The proportion of the cost incurred is that Rs. 6012/9/11 falls upon the Ghillafs which has been taken away by the Receiver from the cash income and this amount is payable by the Durgah Committee whichis to be distri- buted between the Dewan and the Khadims in equal shares. The remaining cost of the amount of Rs.8542/13/ is to be allocated in this way that Rs. 3789/2/11 should fall upon Dewan's recovery and Rs. 4753/10/9 should

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(5)

fall upon Khadims' recovery.

Defendant Khadims will bear half plaintiff Dewan's cost in this court, cost incurred by the other parties will be borne by the parties incurring them.

Given under my hand and the seal of the court this 3rd day of May 1933.

The cost of the Final amended decree.

Plaintiff's Dewan's Costs.	Defendant Khadims' Costs	Defendan Dargah Committee's Costs.
Miscellaneous.Rs.2/-/-	Rs.2/-/-	Nil.
T O T A L :- Rs.2/-/-	Rs.2/-/-	Nil.

Additional District Judge,
Ajmer-Merwara,
Ajmer.

(Added by order dated the 29th January 1940)
Under Section 152 C.P.C.

The Khadims are entitled to Rs. 3221/. in respect of the one and two anna pieces up to the date of the Privy Council Judgment (i.e. end of February 1938) This sum is arrived at after deducting 25 % of the income during the receivership.

Given under my hand and the seal of the court this 29th day of January 1940.

I.C.S.
District Judge, Ajmer-Merwara,
A J M E R.

6/7/38

न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर

पीठासीन अधिकारी : प्रशान्त कुमार अग्रवाल

दीवानी इजराय संख्या : 8/2010 (11/1991)

दीवान सैयद आले रसूल अली खां, सज्जादानशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब द्वारा उत्तराधिकारी

...डिक्रीदार–प्रार्थी

बनाम

असरार हुसैन व अन्य

...मद्यूनगण

उपस्थित:–

1. श्री एस.के.सोगानी अधिवक्ता डिक्रीदार–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ओ.पी. त्यागी अधिवक्ता मद्यून सं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री उत्तम चन्द जैन अधिवक्ता मद्यून सं. 21 की ओर से।
4. श्री मोहसिन चिश्ती अधिवक्ता मद्यून सं. 22 की ओर से।
5. पी.एन.सक्सेना अधिवक्ता मद्यून सं. 23 की ओर से।
6. श्री एस.के.जोशी अधिवक्ता मद्यून सं. 24, 25 व 26 की ओर से।
7. श्री किशन गुर्जर अधिवक्ता मद्यून सं. 18 की ओर से।
8. श्री ए. चिश्ती अधिवक्ता मद्यून संख्या 6 व 8 के उत्तराधिकारी की ओर से।

आदेश दिनांक :10.08.2010

इस आदेश के द्वारा डिक्रीदार–प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त दीवानी इजराय में इस न्यायालय के कार्यालय द्वारा दिनांक 28.08.1991 को की गई आपत्तियों पर विचार कर उनका निस्तारण किया जा रहा है। कार्यालय द्वारा की गई आपत्तियां निम्नलिखित है :–

1. इजराय मियाद बाहर है।

2. मद्यून संख्या 22 व 23 डिक्री के पक्षकार नहीं है, उनके विरूद्ध इजराय किस प्रकार प्रस्तुत की गई है, स्पष्ट नहीं है।

3. अपील का विवरण नहीं दिया गया है।

4. इजराय प्रार्थनापत्र के कॉलम संख्या 5, 6 व 9 के विवरण अपूर्ण व अधूरे है।

5. इजराय प्रार्थनापत्र डिक्रीदार–प्रार्थी ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, स्पष्ट नहीं है।

उक्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस तरह से है कि तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश अजमेर–मेरवाडा अजमेर द्वारा सिविल अपील संख्या 9/1931, जो कि सिविल वाद संख्या 9/1929 से सम्बन्धित है, में दिनांक 03.05.1933 को पारित घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी डिक्री के निष्पादन हेतु डिक्रीदार–प्रार्थी ने वर्तमान इजराय प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.08.1991 को प्रस्तुत किया। उक्त इजराय प्रार्थनापत्र में इस न्यायालय के कार्यालय द्वारा दिनांक 28.08.1991 को उक्त आपत्तियां की गई। आदेशिका दिनांक 31.08.1991 के अनुसार डिक्रीदार–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन प्रार्थनापत्र को मियाद की आपत्ति के साथ दर्ज करने का आदेश देते हुये मद्यून की तलबी की गई। तत्पश्चात उक्त इजराय प्रार्थनापत्र इस न्यायालय तथा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम 1, अजमेर के समक्ष विचाराधीन रहा। दिनांक 06.03.2010 को जब यह इजराय प्रार्थनापत्र अन्य कार्य हेतु नियत था तो मद्यून संख्या 22 अन्जुमन मोईनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब की ओर से एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि कार्यालय द्वारा की गई उक्त आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ है तथा इन आपत्तियों को निर्णीत किया जाना आवश्यक है। मद्यून संख्या 22 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर इस न्यायालय द्वारा उसी दिन दिनांक 06.03.2010 को आदेश दिया गया कि कार्यालय द्वारा की गई आपत्तियों पर विचार किया जावेगा। इस तरह से इस कार्यालय द्वारा की गई उक्त आपत्तियों पर विचार कर निस्तारण इस आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

हमने उक्त आपत्तियों पर योग्य अधिवक्ता पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विस्तृत तर्कों पर विचार किया। पत्रावली, सम्बन्धित विधिक प्रावधानों तथा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। उक्त प्रत्येक आपत्ति पर हमारा सविचार निर्णय व निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :–

<u>आपत्ति संख्या – 1</u>

क्या डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत उक्त इजराय प्रार्थनापत्र मियाद बाहर है ?

जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है तत्कालीन न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अजमेर–मेरवाडा अजमेर द्वारा सिविल अपील संख्या 9/1931 में दिनांक 03.05.1933 को पारित घोषणात्मक

सत्यमेव जयते
अजमेर

2010
(राज.)
प्रमाणित प्रतिलिपि

एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिकी के निष्पादन हेतु वर्तमान इजराय प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.08.1991 को पेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि डिकीदार–प्रार्थी की ओर से संशोधित अंतिम डिकी दिनांक 29.01.1940 की सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 18.08.1998 तथा दिनांक 14.10.1998 को पेश की गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि मियाद के प्रश्न पर इस न्यायालय ने पूर्व में विचार कर अपना आदेश दिनांक 05.10.2002 को पारित किया तथा घोषणात्मक डिकी के सम्बन्ध में प्रस्तुत इजराय प्रार्थनापत्र को मियाद बाहर माना जबकि शाश्वत एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित डिकी हेतु निष्कर्ष दिया कि इस सीमा तक यह इजराय प्रार्थनापत्र चलने योग्य है। इस तरह से स्पष्ट है कि मियाद के प्रश्न पर इस न्यायालय ने विशेष रूप से विचार कर अपना आदेश दिनांक 05.10.2002 को पारित किया है। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आदेश दिनांक 05.10.2002 के पुनरावलोकन हेतु प्रार्थनापत्र डिकीदार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस प्रार्थनापत्र को इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.04.2003 द्वारा खारिज कर दिया। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि आदेश दिनांक 05.10.2002 को चुनौती देते हुये डिकीदार–प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च की जयपुर पीठ के समक्ष एकल पीठ दीवानी पुनरीक्षण याचिका संख्या 374/2003 प्रस्तुत की तथा माननीय उच्च न्यायालय ने इस पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 10.04.2006 द्वारा कर दिया है। यह भी जाहिर है कि उक्त आदेश दिनांक 10.04.2006 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण आदेश दिनांक 24.07.2006 द्वारा किया गया।

अधिवक्ता डिकीदार–प्रार्थी का तर्क है कि मियाद के प्रश्न पर पूर्व में विचार कर निष्कर्ष दिया जा चुका है, ऐसी सूरत में अब मियाद के प्रश्न पर पुनर्विचार नही किया जा सकता। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता मद्‌यूनान की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत उक्त दीवानी पुनरीक्षण याचिका में मृतक मद्‌यूनान के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है जिन्हें इस न्यायालय में पूर्व में इजराय प्रार्थनापत्र में पक्षकार बना लिया गया था तथा इन लोगों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 10.04.2006 पारित किया गया है। अधिवक्तागण का तर्क है कि ऐसी सूरत में आदेश दिनांक 10.04.2006 इन पर लागू नही है तथा इस न्यायालय को अधिकारिता है कि वह मियाद के प्रश्न पर पुनः विचार करे। यह तर्क भी पेश किया गया है कि यद्यपि आदेश दिनांक 10.04.2006 में उल्लेखित किया गया है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है किन्तु आदेश से जाहिर नही है कि मियाद के प्रश्न पर विशिष्ट रूप से विचार कर किसी तरह का कोई मत माननीय उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है। इस आधार पर भी तर्क पेश किया गया है कि यह न्यायालय पुनः मियाद के प्रश्न पर विचार कर सकता है।

(अतः आपत्ति नः । खारिज की गई

– 8 – 2010
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अजमेर (राज.)

प्रतिलिपि
अजमेर

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

पत्रावली पर आये उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने मियाद के प्रश्न पर पूर्व में विचार कर अपना निष्कर्ष दे दिया है तथा इस न्यायालय की सीमा तक यह आदेश अंतिम हो चुका है तथा इस कारणवश इस न्यायालय को अब अधिकारिता नही है कि वह मियाद के प्रश्न पर पुनः विचार करे। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2002 से इजराय प्रार्थनापत्र पर क्या प्रभाव है, यह अलग विषय–वस्तु है। जहां तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिविल पुनरीक्षण याचिका में दिनांक 10.04.2006 को पारित आदेश का प्रश्न है, हमारा मानना है कि इस आदेश पर न तो किसी तरह की टिप्पणी करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है और न ही यह न्यायालय इस आदेश में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ही कर सकती है। यदि मद्यूनान अथवा इनमें से कोई समझता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2006 किसी कारणवश विधि सम्मत नही है तो इस सम्बन्ध में उपचार माननीय उच्च न्यायायल के समक्ष ही किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 24.07.2006 को पारित आदेश में भी निर्देश दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः इस कार्यालय द्वारा इजराय प्रार्थनापत्र में मियाद सम्बन्धी आपत्ति के बारे में निष्कर्ष दिया जाता है कि इस प्रश्न पर पूर्व में विचार कर निष्कर्ष दिया जा चुका है तथा इस कारणवश अब इस प्रश्न पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता नही है। (आपत्ति नम्बर 1 खारिज)

<u>आपत्ति संख्या – 2</u>

यह स्वीकृत तथ्य है कि मद्यून संख्या 22 व 23, जो क्रमशः अन्जुमन मोईनिया तथा अन्जुमन यादगार है, वाद संख्या 19/1929 तथा दिनांक 03.05.1933 को पारित उक्त डिक्री में किसी भी रूप में पक्षकार नही है। पत्रावली पर विद्यमान प्रमाण से जाहिर है कि ये दोनों उक्त डिक्री पारित किये जाने के बाद अस्तित्व में आई है। मद्यून संख्या 22 व 23 को इस इजराय प्रार्थनापत्र में क्योकर पक्षकार बनाया गया है इस बारे में मुद्रित इजराय प्रार्थनापत्र के साथ दिनांक 17.08.1991 को पृथक से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के चरण संख्या 2 में विवरण लिखा गया है। इसके अनुसार वाद संख्या 9/1929 में वर्णित अप्रार्थीगण संख्या 1 से 20 जो सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 8 के अन्तर्गत सभी शैख जादगान व सैयद जादगान खुद्दामों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे का देहान्त हो चुका है और वर्तमान में ख्वाजा साहब के सभी खुद्दाम ने मिलकर अंजुमन मोईनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब व अंजुमन यादगार चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब कायम की है और सारे खुद्दाम का हित उपरोक्त दोनों अंजुमन देखती रही है।

इस तरह से यद्यपि इजराय प्रार्थनापत्र के चरण संख्या 2 में मद्यून संख्या 22 व 23 को पक्षकार बनाये जाने का कारण उल्लेखित

सहायक जिलाधीश (न्या.)
अजमेर

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

किया गया है किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण पेश नही किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया भी जाहिर हो कि ख्वाजा साहब के वर्तमान खुद्दाम ने मिलकर मद्यून संख्या 22 व 23 की स्थापना की है तथा सभी खुद्दाम का हित ये दोनों अंजुमन देख रही है। मद्यून संख्या 22 व 23 की ओर से हमारे समक्ष कथन किया गया है कि मद्यून संख्या 22 व 23 ऐसी कोई संस्था नही है जिसकी स्थापना खुद्दामों द्वारा उस सहायता के लिए की गई जिस सहायता हेतु वर्तमान इजराय प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। डिक्री दिनांक 03.05.1933 के अवलोकन से जाहिर है कि अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह पर चढ़ने वाले चढ़ावे व भेट आदि के हिस्से व वितरण के बारे में यह डिक्री पारित की गई जिसमें डिक्रीदार तथा मद्यून खुद्दामों का हिस्सा निर्धारित किया गया। इस तरह से दिनांक 03.05.1933 को पारित डिक्री में ख्वाजा साहब के खुद्दाम मद्यून के रूप में पक्षकार है। इजराय प्रार्थनापत्र में मद्यून संख्या 22 व 23 को जो कारण अंकित कर पक्षकार बनाया गया है उसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। बहस के दौरान अधिवक्ता डिक्रीदार–प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि यदि न्यायालय समझती है कि इन्हें अनावश्यक रूप से पक्षकार बना लिया गया है तो न्यायालय इनका नाम विलोपित करने का आदेश दे सकती है। पत्रावली पर प्रथम दृष्टया भी कोई प्रमाण विद्यमान न होने से यह निष्कर्ष दिया जाता है कि मद्यून संख्या 22 व 23 को इस इजराय प्रार्थनापत्र में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है तथा इस कारणवश इन्हें इजराय प्रार्थनापत्र से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आपत्ति निस्तार स्वीकार

<u>आपत्ति संख्या – 3</u>

कार्यालय द्वारा तीसरी आपत्ति यह की गई है कि अपील का विवरण नही दिया गया है। दिनांक 17.08.1991 को प्रस्तुत इजराय प्रार्थनापत्र के कॉलम संख्या 4 में यद्यपि यह उल्लेखित किया गया है कि डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की गई है किन्तु प्रस्तुत अपील तथा उसके परिणाम का विवरण नही है। हमारा मत है कि अपील सम्बन्धी पूर्ण विवरण न देने मात्र से इजराय प्रार्थनापत्र खारिज नही किया जा सकता। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर नही है कि अपील सम्बन्धी पूर्ण विवरण न होने से डिक्रीदार–प्रार्थी को इस कमी को पूरा करने के लिए अवसर दिया गया हो। हमारा मानना है कि अपील के सम्बन्ध में डिक्रीदार–प्रार्थी अब भी पूर्ण विवरण पेश कर सकता है। दिनांक 03.05.1933 को पारित उक्त डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किये जाने से इजराय प्रार्थनापत्र किस डिक्री के बारे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, यह प्रश्न वर्तमान आदेश की विषय वस्तु नही है तथा इस प्रश्न पर पृथक से विचार कर निष्कर्ष दिया जाना चाहिये।

(आपत्ति स्वीकृत)

<u>आपत्ति संख्या – 4</u>

यह आपत्ति मुद्रित इजराय प्रार्थनापत्र के कॉलम संख्या 5, 6 व 9 के विवरण अपूर्ण व अधूरे होने के बारे में है। इजराय प्रार्थनापत्र

10-8-2010
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अजमेर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

के कॉलम संख्या 5 में डिकी की पालना के बारे में तथ्य लिखे जाते हैं। यद्यपि मुद्रित प्रार्थनापत्र में इस बारे में कोई विवरण नही लिखा गया है किन्तु साथ में उसी दिन प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के चरण संख्या 3 में पर्याप्त विवरण लिखा गया है। इसके अनुसार डिकी दिनांक 03.05.1993 की पालना में परस्पर सहमति से राशि का भुगतान किया जाना बताया गया है तथा यह भी लिखा गया है कि वर्तमान डिकीदार को वर्ष 1975 से वर्ष 1991 की अवधि का भुगतान आपसी सहमति के अनुसार किया गया है। इस तरह से डिकी की अनुपालना में किये गये भुगतान के बारे में पर्याप्त विवरण दिया गया। इजराय प्रार्थनापत्र के कॉलम संख्या 6 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डिकीदार को जानकारी नही है। इजराय प्रार्थनापत्र के कॉलम संख्या 6 में पूर्व निष्पादन प्रार्थनापत्र यदि कोई है तो उसका विवरण लिखा जाना होता है। मदयूनान का ऐसा कोई कथन नही है कि दिनांक 03.05.1933 को पारित डिकी के निष्पादन हेतु वर्तमान डिकीदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने पूर्व में इजराय प्रार्थनापत्र पेश किया है, ऐसी सूरत में कॉलम संख्या 6 के लिए यह नही कहा जा सकता है कि इससे सम्बन्धित विवरण अपूर्ण एवं अधूरा है। इजराय प्रार्थनापत्र के कॉलम संख्या 9 में उस व्यक्ति का विवरण लिखा जाना होता है जिसके विरूद्ध डिकीदार डिकी का निष्पादन चाहता है। यद्यपि मुद्रित प्रार्थनापत्र में विवरण उल्लेखित नही किया गया है किन्तु साथ में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में इस बारे में विवरण दिया गया है। प्रार्थनापत्र के कॉलम संख्या 3 व 6 में उन व्यक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है जिनके विरूद्ध इजराय प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः कॉलम संख्या 9 के लिए नही कहा जा सकता कि इसमें अस्पष्ट व अधूरा विवरण दिया गया है।

आपत्ति परवारिज

<u>आपत्ति संख्या – 5</u>

आपत्ति की गई है कि डिकीदार–प्रार्थी ने यह स्पष्ट नही किया है कि उसें यह इजराय प्रार्थनापत्र पेश करने की अधिकारिता कैसे है। इस अधिकारिता के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य गम्भीर विवाद है। मदयूनान की ओर से तर्क पेश किया गया है कि उक्त डिकी दिनांक 03.05.1933 दीवान सैयद आले रसूल अली खां के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से पारित की गई है तथा वर्तमान डिकीदार–प्रार्थी ने स्पष्ट नही किया है कि उसने किस अधिकार के अधीन यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। इनका तर्क है कि न्यायालय की अनुमति के बिना वर्तमान डिकीदार–प्रार्थी को इजराय प्रार्थनापत्र पेश करने की अधिकारिता नही है। इस हेतु इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि दीवान सैयद आले रसूल अली खां पाकिस्तान चले गये तथा वहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसके विपरीत अधिवक्ता डिकीदार–प्रार्थी का तर्क है कि उक्त डिकी किसी व्यक्ति के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से पारित नही की गई है बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह के दीवान पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत वाद में पदासीन व्यक्ति के पक्ष में पारित की गई है तथा वर्तमान इजराय प्रार्थनापत्र प्रस्तुती से पूर्व ही वर्तमान डिकीदार दीवान के पद पर आसीन था तथा इस कारणवश इन्हें यह प्रार्थनापत्र पेश करने की अधिकारिता है।

10-8-2010
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अजमेर (राज.)

जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

यदि दिनांक 03.05.1933 को पारित उक्त डिक्री का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि यह अंतिम डिक्री दरगाह के दीवान के अधिकार जो कि दरगाह में प्राप्त चढ़ावे से सम्बन्धित है की घोषणा के बारे में है तथा इस डिक्री द्वारा प्राप्त चढ़ावे की हिस्सेदारी का निर्धारण किया गया है। डिक्री के अवलोकन से जाहिर है कि बाद तत्कालीन दीवान सैयद आले रसूल अली खां, सज्जादानशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर ने चढ़ावे के अधिकारों की घोषणा आदि के बारे में खुद्दामों तथा दरगाह कमेटी के विरूद्ध पेश किया गया। डिक्री से कतई जाहिर नही है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में जारी की गई है। डिक्री द्वारा दरगाह के दीवान पद पर आसीन व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण किया गया है। साथ में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के चरण संख्या 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डिक्रीदार दिनांक 03.05.1933 में वर्णित डिक्रीदार दीवान सैयद आले रसूल अली खां, सज्जादानशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के पद का उत्तराधिकारी है एवं अपने पिता स्व0 श्री दीवान सैयद इत्मुदीन अली खां द्वितीय साहब के देहान्त के पश्चात वर्ष 1975 से ही सज्जादानशीन के पद पर आसीन है और इस कारणवश उपरोक्त डिक्री की इजराय कराने हेतु सक्षम है। इस तरह से इजराय प्रार्थनापत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी ने किस हैसियत से तथा किस आधार पर इजराय प्रार्थनापत्र पेश किया है। वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुती के समय अथवा उससे पूर्व अथवा वर्तमान में दीवान पद पर आसीन है या नही अथवा वह पूर्व दीवान का उत्तराधिकारी है अथवा नही, यह साक्ष्य की विषय वस्तु है जिस पर पृथक से विचार कर निष्कर्ष दिया जा सकता है किन्तु प्रार्थनापत्र में उल्लेखित विवरण को देखते हुये यह नही कहा जा सकता कि वर्तमान डिक्रीदार ने स्पष्ट नही किया है कि उसने किस हैसियत से तथा किस अधिकार के तहत वर्तमान इजराय प्रार्थनापत्र पेश किया है, ऐसी सूरत में कार्यालय द्वारा की गई यह आपत्ति भी निरर्थक है तथा इस आधार पर इजराय प्रार्थनापत्र अस्वीकार नही किया जा सकता है।

इस तरह से कार्यालय द्वारा की गई उक्त आपत्तियों का निस्तारण उक्त प्रकार से किया जाता है। बहस के दौरान पक्षकारान की ओर से अनेक न्यायिक दृष्टान्त हमारे समक्ष पेश किये गये जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया किन्तु इनमें ऐसा कोई भी न्यायिक दृष्टान्त नही है जिसे उक्त आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए सुसंगत एवं महत्वपूर्ण माना जा सके तथा इस कारणवश प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का विस्तृत उल्लेख इस आदेश में नही किया गया है। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि बहस के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से अनेक ऐसे तथ्यों व बिन्दुओं पर तर्क पेश किये गये जो प्रत्यक्ष रूप से उक्त आपत्तियों के बारे में नही थे तथा इस कारणवश ऐसे तर्कों पर विचार कर निष्कर्ष इस आदेश में नही दिया गया है। ऐसे बिन्दू व तथ्य तथा इन पर प्रस्तुत तर्क इस इजराय प्रार्थनापत्र के गुणदोष पर निस्तारण के लिए सुसंगत अवश्य हो सकते हैं किन्तु वर्तमान में इजराय प्रार्थनापत्र का निस्तारण गुणदोष पर नही किया गया है। मदयून

10-8-2010,
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अजमेर (राज.)

सत्यमेव जयते
अजमेर

प्रतिलिपिक
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

संख्या 23 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में भी अनेक ऐसे तर्कों का उल्लेख है जो वास्तव में इस इजराय प्रार्थनापत्र के गुणदोष पर निस्तारण से सम्बन्धित नहीं है तथा इस कारणवश इन तर्कों पर विचार कर निष्कर्ष इस आदेश में नही दिया गया है।

10-8-2010
(प्रशान्त कुमार अग्रवाल)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अजमेर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10.08.2010 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

10-8-2010
(प्रशान्त कुमार अग्रवाल)
जिला न्यायाधीश, अजमेर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अजमेर (राज.)

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

श्री S.A. अतिरिक्त adv. 33945/22-12-10 IInd Copy
C.Ex. 11/91
दी. सै. आले रसूल / अल्ताफ हुसैन
DJ

न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर

पीठासीन अधिकारी : प्रशान्त कुमार अग्रवाल
दीवानी इजराय सं0 : 8/2010 (11/1991)

दीवानी सैयद आले रसूल बनाम अल्ताफ हुसैन व अन्य

उपस्थित :

1. श्री एल.के.सोगानी अधिवक्ता डिक्रीदार की ओर से
2. श्री ओ.पी.मंगल अधिवक्ता, मदयून सं. 1 व 2 की ओर से

आदेश दिनांक : 22.12.2010

इस आदेश द्वारा मदयून सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.11.2010 का निस्तारण किया जा रहा है। अपने इस प्रार्थना–पत्र द्वारा उक्त मदयूनान द्वारा निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.8.2010 को पारित आदेश के अनुसरण में इस तथ्य पर साक्ष्य लेखबद्ध की जावे कि क्या वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी निष्पादन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुती के समय तथा उससे पूर्व अथवा वर्तमान में दीवान पद पर आसीन हैं या नहीं अथवा यह पूर्व दीवान का उत्तराधिकारी है या नहीं।

उक्त प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस तरह से है कि तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश अजमेर–मेरवाड़ा अजमेर द्वारा सिविल अपील सं. 9/1931, जो कि सिविल वाद सं0 9/1929 से सम्बन्धित है, में दिनांक 3.5.33 को पारित घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी डिक्री के निष्पादन हेतु डिक्रीदार–प्रार्थी ने वर्तमान इजराय प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.8.1991 को प्रस्तुत किया। वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी दीवानी सैयद जैनुअल आबेदीन अली खां ने अपने आप को स्व. दीवान सैयद इल्मुद्दीन अली खां द्वितीय का पुत्र होना प्रकट किया तथा यह भी कथन किया कि उक्त डिक्री तत्कालीन दीवान सैयद आले रसूल अली खां सज्जादानशीन के पक्ष में जारी हुई है। निष्पादन प्रार्थना–पत्र के चरण सं0 1 में उल्लेखित किया कि डिक्रीदार वाद सं0 9/1929 में पारित डिक्री दिनांक 3.5.1933 में वर्णित डिक्रीदार सैयद आले रसूल अली खां सज्जादानशीन के पद का उत्तराधिकारी है एवं अपने पिता स्व. दीवान सैयद इल्मुद्दीन अली खां द्वितीय सज्जादानशीन हज़रत ख्वाजा साहब के देहान्त के पश्चात वर्ष 1975 से ही सज्जादानशीन के पद पर आसीन हैं और इस कारण उपरोक्त डिक्री की इजराय कराने हेतु सक्षम है। इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनाक 10.8.2010 के माध्यम से न्यायालय के कार्यालय द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण कर अन्य के अलावा निम्नलिखित आदेश भी पारित किया :–

"वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी निष्पादन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुती के समय अथवा उससे पूर्व अथवा वर्तमान में दीवान पद

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर
न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश

22-12-2010
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर (राज.)

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

पर आसीन हैं या नहीं अथवा वह पूर्व दीवान का उत्तराधिकारी है अथवा नहीं, यह साक्ष्य की विषय वस्तु है जिस पर पृथक से विचार कर निष्कर्ष दिया जा सकता है किन्तु प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित विवरण को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान डिक्रीदार ने स्पष्ट नहीं किया है कि उसने किस हैसियत से तथा किस अधिकार के तहत वर्तमान इजराय प्रार्थना–पत्र पेश किया है। ऐसी सूरत में कार्यालय द्वारा की गई यह आपत्ति भी निरर्थक है तथा इस आधार पर इजराय प्रार्थना–पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

मदयून सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र की प्रतिलिपि अधिवक्ता डिक्रीदार को दिनांक 26.11.2010 को उपलब्ध करवाई गई। डिक्रीदार की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने उक्त प्रार्थना–पत्र पर योग्य अधिवक्ता डिक्रीदार एवं मदयून सं. 1 व 2 के तर्कों को सुना। पत्रावली, सम्बन्धित विधिक प्रावधानों तथा डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1987 (एस.सी.) 2213 सैयद सौलतहुसैन बनाम सैयद इल्मुद्दीन एवं अन्य तथा 1980 आर.एल.डब्ल्यू. (राज.) 69 सैयद सौलतहुसैन बनाम सैयद इल्मुद्दीन एवं अन्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टान्त में विस्तार से विचार कर मत व्यक्त किया है कि अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब के सज्जादानशीन पद पर नियुक्ति का अधिकार वंशानुगत है तथा ख्वाजा साहब के वंश के सदस्य को ही उक्त पद पर पदस्थापित होने की अधिकारिता है। माननीय न्यायालय ने दरगाह कमेटी के इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया कि दरगाह कमेटी के गठन के उपरान्त उक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार दरगाह कमेटी को प्राप्त हो गया है।

उक्त प्रकरण के तथ्यों से जाहिर है कि दरगाह ख्वाजा साहब के सज्जादानशीन के पद पर दीवानी सैयद आले रसूल अली खां पदस्थापित थे जो पाकिस्तान चले गये। उसके बाद अजमेर के चीफ कमीशनर ने एक व्यक्ति श्री हकीम इनायत हुसैन को सज्जादानशीन के पद पर नियुक्त किया जिसे वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी के पिता श्री सैयद इल्मुद्दीन ने चुनौती दी। इस सम्बन्ध में सिविल वाद अजमेर स्थित सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा मामला अन्त में उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। यह भी जाहिर है कि प्रकरण के निस्तारण के दौरान सैयद इल्मुद्दीन की मृत्यु हो गई तथा उनके स्थान पर सैयद जैनुअल आबेदीन अली खां को पुत्र होने से पक्षकार बनाया गया। सैयद जैनुअल आबेदीन अली खां वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा वर्तमान निष्पादन प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय से यह तथ्य को भली–भांति प्रमाणित

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

है कि अजमेर स्थित दरगाह ख्वाजा साहब के सज्जादानशीन के पद पर ख्वाजा साहब के परिवार का कोई सदस्य ही पदस्थापित हो सकता है तथा यह पद वंशानुगत है। जैसा पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है, वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी श्री सैयद जैनुअल आबेदीन अली खां ने अपने आप को स्व. दीवान सैयद इल्मुद्दीन अली खां द्वितीय का पुत्र तथा दीवान सैयद आले रसूल अली खां के परिवार का सदस्य होना जाहिर कर वर्तमान निष्पादन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। मदयूनान की ओर से इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी स्व. दीवान सैयद इल्मुद्दीन अली खां द्वितीय का पुत्र है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्व. दीवान सैयद इल्मुद्दीन अली खां द्वितीय के इस अधिकार को स्वीकार किया है कि दीवान सैयद आले रसूल अली खां के पाकिस्तान चले जाने के बाद ख्वाजा साहब के परिवार का सदस्य होने से वह सज्जादानशीन के पद पर पदस्थापित होने का अधिकारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रकरण में भी वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी को पक्षकार के रूप में जोड़ा गया है। ऐसी सूरत में इस तथ्य पर साक्ष्य लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वर्तमान डिक्रीदार–प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुती के समय तथा उससे पूर्व अथवा वर्तमान में दीवान पद पर आसीन है या नहीं अथवा यह पूर्व दीवान का उत्तराधिकारी है या नहीं। दिनांक 10.8.2010 को उक्त आदेश पारित करते समय इस न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य विचार हेतु सामने नहीं थे तथा इस न्यायालय ने कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण करते समय उक्त आदेश पारित किया था। दिनांक 10.8.2010 को उक्त आदेश पारित किये जाने से यह न्यायालय बाध्य नहीं है कि उक्त प्रश्न पर साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। हमारे मत में जब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रकरण में डिक्रीदार–प्रार्थी के अधिकार का अन्तिम रूप से विनिश्चय हो चुका है, ऐसी सूरत में इस न्यायालय को अधिकारिता नहीं है कि वह उसी प्रश्न पर पुनः विचार कर निर्णय देवें। ऐसी सूरत में मदयून सं. 1 व2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः मदयून सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकित 26.11.2010 आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

22-12-2010
(प्रशान्त कुमार अग्रवाल)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जिला न्यायाधीश अजमेर
अजमेर (राज.)

आदेश आज दिनांक 22.11.2010 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22-12-2010
(प्रशान्त कुमार अग्रवाल)
जिला न्यायाधीश अजमेर,
अजमेर (राज.)

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा

सत्यमेव जयते
प्रमाणित प्रतिलिपि
जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर